संख्या-59/2015/931/नौ-5-15-358बजट/2014-4

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, नकुड़/गंगोह (सहारनपुर), शामली (शामली), मैनपुरी (मैनपुरी) तथा रसड़ा (बलिया)।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 16 मार्च, 2015

विषय:-वित्तीय वर्ष 2014-15 में नगरीय जल निकासी योजना के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 'नगरीय जल निकासी योजना' के अन्तर्गत संलग्न सूची में उल्लिखित कार्यो के अनुसार प्रदेश की 05 नागर स्थानीय निकायों में जल निकासी हेतु नालों के निर्माण के लिये वित्तीय वर्ष 2014-15 में कुल ₹ 310.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा इसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में ₹ 155.00 (₹ एक करोड़ पचपन लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख ₹ में)

क्रं0	जिले का नाम	नागर निकाय का नाम	आगणन में प्रस्तावित धनराशि	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि
1.	सहारनपुर	नगर पालिका परिषद्, नकुड़	67.47	60.00	30.00
2.	सहारनपुर	नगर पालिका परिषद्, गंगोह	82.71	80.00	40.00
3.	शामली	नगर पालिका परिषद, शामली	93.93	80.00	40.00
4.	मैनपुरी	नगर पालिका परिषद्, मैनपुरी	67.01	60.00	30.00
5.	बलिया	नगर पालिका परिषद्, रसड़ा	30.07	30.00	15.00
		योग		310.00	155.00

(₹ एक करोड़ पचपन लाख मात्र)

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तीन दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।

(2) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(3) आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी.एल.ए./डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के अतिरिक्त आगणन में प्रस्तावित धनराशि को सम्बन्धित निकाय द्वारा अपने स्रोतों से वहन किया जायेगा।

(5) नगर विकास विभाग के अन्तर्गत ड्रेनेज से सम्बन्धित कराए जाने वाले कार्यो के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-3788/नौ-5-2012-111बजट/2010, दिनांक 09.10.2012 की व्यवस्थानुसार नगर पालिका परिषदों द्वारा 25.00 लाख तक तथा नगर पंचायतों द्वारा रू0 5.00 लाख तक के डेनेज संबंधी कार्य कराये जा सकेंगे। क्रमशः इससे अधिक के ड्रेनेज संबंधित कार्य सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम द्वारा कराये जायेंगे।

(6) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(7) कार्य की विशिष्टयों, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित नागर निकायों/कार्यदायी संस्था/ जिलाधिकारी की होगी तथा कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण की जायेगी।

(8) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

(9) प्रस्तावित कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(10) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्पले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(11) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को दिनांक 31 मार्च, 2015 तक संबधित निकाय/कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलें की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक *"2215-जलापूर्ति तथा सफाई-02-मलजल तथा सफाई-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-30प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0402-नगरीय जल निकासी कार्य-35-पूंजीगत परिसम्पित्तयों के सृजन हेतु अनुदान"* के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-59/2015/931 (1)/नौ-5-15-358बजट/2014-4, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
3- संबंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
4- संबंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
5- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, 30प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, सीएण्डडीएस, 30प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7- समबन्धित अध्यक्ष, नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, 30प्र0 लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
11- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या-59/2015/931/नौ-5-15-358बजट/2014-4 दिनांक 16 मार्च, 2015 का संलग्नक।

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0	जनपद का नाम	निकाय का नाम	प्रस्तावित कार्य	आगणन में प्रस्तावित धनराशि	प्रस्तावित धनराशि के सापेक्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	सहारनपुर	नगर पालिका परिषद्, नकुड़	1. सामानी सेटरिंग टैंट हाउस से गुगा माडी तक नाला निर्माण कार्य।	13.56		
			2. सत्यम आटो सर्विस से अम्बेडकरनगर चौक तक नाला निर्माण कार्य। (भाग-1)	22.02		
			3. प्रदीप कुमार लाला जी दुकान से धीरज के खोके तक नाला निर्माण कार्य।	2.02		
			4. रणदेवा रोड से हसीना के घर तक नाला निर्माण कार्य।	6.94		
			5. नकुड़ गंगोह रोड से कब्रिस्तान तक नाला निर्माण कार्य।	4.03		
			6. ग्रीन कम्प्यूटर की दुकान से जहीर की दुकान तक आर0सी0सी0 नाल निर्माण कार्य।	18.90		
			योग	**67.47**	**60.00**	**30.00**
2.	सहारनपुर	नगर पालिका परिषद्, गंगोह	1. लखनोती रोड पर राजेश्वर वकील के प्लाट से 200 मीटर नाल निर्माण कार्य।	22.18		
			2. लखनोती रोड पर मस्जिद रहमत से 220 मीटर नाला निर्माण कार्य।	24.43		
			3. लखनोती रोड पर पाल्ले सैनी के खेत से 220 मीटर नाला निर्माण कार्य।	24.43		
			4. लखनोती रोड पर सुरेन्द्र अरोड़ा की फैक्ट्री से 120 मीटर नाला निर्माण कार्य।	11.67		
			योग	**82.71**	**80.00**	**40.00**
3.	शामली	नगर पालिका परिषद्, शामली	1. दयानन्दनगर में देशभक्त इन्टर कालेज के पीछे मुख्य नाला 60 मीटर निर्माण कार्य।	23.55		
			2. वार्ड सं0 8 मौ0 पंसारियान में राजेन्द्र के मकान से नन्हे के मकान के पास तक नाला निर्माण कार्य।	23.68		
			3. वार्ड सं0 19 मौ0 झिंझाना रोड पर एस0के0 मार्बल की दुकान से विजय चौक होते हुए धर्मदत्ता की दुकान के पास तक नाला निर्माण कार्य।	23.05		
			4. माजरा रोड पर पेट्रोल पम्प से मैसवाल रोड पर मण्डी के पास तक नाला निर्माण कार्य।	23.65		
			योग	**93.93**	**80.00**	**40.00**
4.	मैनपुरी	नगर पालिका परिषद्, मैनपुरी	1. चादेश्वर रोड मुख्य आश्रम रोड उदयपाल के मकान से नाला पुलिया तक नाला निर्माण कार्य।	22.74		
			2. चादेश्वर मन्दिर पर नाला पुलिया से बाउण्ड्री कोने तक नाला निर्माण।	21.83		
			3. चादेश्वर मन्दिर रोड पर नाला पुलिया से रामबहादुर राजपूति के मकान तक नाला निर्माण।	22.44		
			योग	**67.01**	**60.00**	**30.00**

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या-59/2015/931/नौ-5-15-358बजट/2014-4 दिनांक 16 मार्च, 2015 का संलग्नक।

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0	जनपद का नाम	निकाय का नाम	प्रस्तावित कार्य	आगणन में प्रस्तावित धनराशि	प्रस्तावित धनराशि के सापेक्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
5	बलिया	नगर पालिका परिषद्, रसड़ा	1. वार्ड सं0-03 में मनोज सिंह से अशोक अग्रवाल एवं अशोक श्रीवास्तव से मनोज गुप्ता तक कवर्ड नाला निर्माण कार्य।	7.74		
			2. राजू जायसवाल से कृषि मण्डी के कोने तक कवर्ड नाला निर्माण कार्य।	7.24		
			3.कासिमाबाद रोड पर विक्रम राजभर से कैलाश सिंह तक कवर्ड नाला निर्माण कार्य।	9.70		
			4. वार्ड न0-10 में नोसर से खोदादीन से आगे तक कवर्ड नाल का कार्य	5.39		
			योग	**30.07**	**30.00**	**15.00**
			महायोग (1+5)		**310.00**	**155.00**

(₹ एक करोड़ पचपन लाख मात्र)

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।